

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:ई/चि.अ./पी-903/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सीकर।

**विषय:** डॉ० पूरणमल यादव, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी कुण्डलपुर सीकर के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प० 12(4)चिस्वा/2/2014/आईडी-1833 दिनांक 04.11.2015 की पालना में निदेशालय के पत्रांक 1086 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा निर्देशित कर, डॉ० पूरणमल यादव, चिकित्सा अधिकारी दिनांक 23.08.2013 से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के प्रकरण में 16 सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव चाहे गये थे, जो आप से प्राप्त होना आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः डॉ० पूरणमल यादव, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी कुण्डलपुर सीकर के विरुद्ध 16 सीसीए नियमों के अन्तर्गत चाहे गये अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव में आज दिनांक तक नहीं भिजवाने के सम्बन्ध में विलम्ब के कारणों से अविलम्ब 3 दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 08/05/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./पी-903/2024/158

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
6956270



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation : Additional Director  
Date: 2024.05.03 12:48:20 IST  
Reason: Approved